

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-लेखा/अनु.सा./अभिलेख/2017/2125


दिनांक : 18-07-2017

—: परिपत्र :-

विषय:-सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट-06 में कार्यालय में लेखा अभिलेखों/रिकार्ड जिसकी न्यूनतम निर्धारित अवधि सामाप्त होने पर नष्टीकरण करने की स्वीकृति बाबत।

विभाग के कार्यालयों/चिकित्सालयों में उपलब्ध लेखा अभिलेखों/रिकार्ड आदि (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट-06 की सूची में उल्लेखित अभिलेख) की न्यूनतम निर्धारित अवधि पूर्ण करने पर इन अभिलेखों को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन नष्टीकरण की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. कार्यालय के अभिलेख/रिकार्ड आदि जिनसे सम्बन्धित कोई न्यायिक ^{प्रकरण} अथवा विभागीय जाँच लम्बित न हो।
2. कार्यालय के अभिलेख/रिकार्ड आदि जिनमें सम्बन्धित महालेखाकार/निरीक्षण विभाग/आन्तरिक जाँच के निरीक्षण प्रतिवेदन का ऑडिट पैरा लम्बित न हो।
3. कार्यालय के अभिलेख/रिकार्ड आदि जिनमें कोई राशि वसूलनीय न हो।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-लेखा/अनु.सा./अभिलेख/2017/

दिनांक :

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित) मुख्यालय।
2. अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन) मुख्यालय।
3. अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) मुख्यालय।
4. औषधि नियन्त्रक, मुख्यालय।
5. राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी, मुख्यालय।
6. राज्य क्षय रोग, अधिकारी, मुख्यालय।
7. समस्त स्टोर प्रभारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
8. समस्त जोन-संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
11. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
12. प्रवर रूम प्रभारी, पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर